

न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या 176/2022

वादीगण

बनाम

प्रतिवादीगण

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. गुरादिता सिंह पुत्र माला सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 39 एच बुर्जवाला तहसील श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर। | 1. तेजपाल सिंह पुत्र गुरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 39 एच बुर्जवाला तहसील श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर जरिए मुख्यारेआम खाम गुरदेव सिंह पुत्र माला सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 39 एच बुर्जवाला तहसील श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर। |
| 2. रस्वेग सिंह पुत्र गुरादिता सिंह सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 39 एच बुर्जवाला तहसील श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर। | 2. मनधीर सिंह पुत्र गुरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 39 एच बुर्जवाला तहसील श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर जरिए मुख्यारेआम खाम गुरदेव सिंह पुत्र माला सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 39 एच बुर्जवाला तहसील श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर। |
| 3. गुरमुख सिंह पुत्र माला सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 39 एच बुर्जवाला तहसील श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर। | 3. गुरदेव सिंह पुत्र माला सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 39 एच बुर्जवाला तहसील श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर। |
| 4. मनप्रीत सिंह पुत्र गुरादिता सिंह सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 39 एच बुर्जवाला तहसील श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर। | 4. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार राजस्व, श्री करणपुर। |
| 5. गगनदीप सिंह पुत्र गुरमुख सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 39 एच बुर्जवाला तहसील श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर। | |
| 6. जितेन्द्रपाल कौर पुत्री गुरमुख सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 39 एच बुर्जवाला तहसील श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर। | |

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 91, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:- 01.08.2022

उपस्थित: 1. श्री पलविन्द्र सिंह, इन्द्राज सेजू अधिवक्ता वादीगण

--निरणय--

दिनांक: 30.06.2023

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चक 35 एच, पटवार मण्डल बुर्जवाला, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबंदी सम्वत 2076 से 2079 के खाता संख्या 25/24 में 11.372 हैक्टर, खाता संख्या 39/38 में 11.892 हैक्टर, खाता संख्या 44/42 में 6.008 हैक्टर, खाता संख्या 86/79 में 6.426 हैक्टर, खाता संख्या 100/98 में 6.275 हैक्टर, खाता संख्या 101/99 में 6.072 हैक्टर एवं प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त रूप से रकबा 7.590 हैक्टर भूमि राजस्व अभिलेख में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज है। पक्षकारान एक ही गांव के पारिवारिक सदस्य है। पक्षकारान के नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज होने के नाम किलावाईज विभाजन नहीं के हिस्सानुसार दर्ज है। उक्त भूमि मुशर्तका खाता में दर्ज होने के नाम किलावाईज विभाजन नहीं आ है, लेकिन पक्षकारान ने उक्त भूमि का आपसी सहमति से काफी समय पूर्व बंटवारा किया हुआ जिसके अनुरूप पक्षकारान भूमि पर काबिज चले आ रहे है। वर्तमान में हमारे परिवार काफी बढ़ के है तथा आने वाली पीढ़ियों में कोई मनमुटाव या बंटवारा को लेकर विवाद न हो, इस कारण पक्षकारान ने अपनी व परिवार की आपसी सहमति से अपने हिस्सा में आई भूमि का बंटवारा विभाजन कर, दिनांक 10.02.2022 को निम्न प्रकार से लिखित बंटवारा कर लिया था बंटवारानामा अनुसार चक 35 एच के खाता संख्या 100/98 में मु0न0 53 में 6.199 नहरी भूमि व मु0न0 104/62 में 0.076 हैक्टर, खाला कुल रकबा 6.275 हैक्टर नहरी मय भूमि में से गुरादिता सिंह को 2.480 हैक्टर व मनप्रीत सिंह को 3.795 हैक्टर भूमि प्राप्त चक 35 एच के खाता संख्या 101/99 में मुरब्बा नं0 75 में 1.265 हैक्टर हैक्टर नहरी, चक 35 एच के खाता संख्या 101/99 में मुरब्बा नं0 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22 में रकबा 2.024 हैक्टर नहरी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

भूमि कुल रकबा 3.289 हैक्टर नहरी भूमि में से रसवेग सिंह को 1.265 हैक्टर व गुरादिता सिंह को 2.024 हैक्टर भूमि प्राप्त हुयी। चक 35 एच के खाता संख्या 25/24 में मु0नं0 75 में 1.265 हैक्टर नहरी भूमि रसवेग सिंह को प्राप्त हुयी। चक 35 एच के खाता संख्या 39/38 में मु0नं0 75 में 3.795 हैक्टर नहरी भूमि रसवेग सिंह को प्राप्त हुयी। चक 35 एच के खाता संख्या 29/26 में मु0नं0 5 में 2/2 में 0.114 हैक्टर पूर्व दिशा में, किला नं0 3/2 में 0.228 हैक्टर, किला नं0 8 में 0.253 हैक्टर, किला नं0 9 में 0.127 हैक्टर पूर्व की दिशा, किला नं0 12 में 0.126 हैक्टर पूर्व की दिशा, किला नं0 13 में 0.253 हैक्टर, किला नं0 18 में 0.253 हैक्टर, किला नं0 19 में 0.127 हैक्टर पूर्व दिशा में, किला नं0 22 में 0.126 हैक्टर पूर्व दिशा में, किला नं0 23 में 0.253 हैक्टर कुल 1.860 हैक्टर नहरी भूमि रसवेग सिंह को प्राप्त हुयी। चक 35 एच के खाता संख्या 44/42 में मु0नं0 76 में किला नं0 1 व 2 में 0.506 हैक्टर नहरी भूमि गुरादिता सिंह को प्राप्त हुयी। चक 35 एच के खाता संख्या 39/38 में मु0नं0 54 में 6.199 हैक्टर नहरी भूमि व मु0नं0 55 में 1.771 हैक्टर नहरी भूमि व मु0नं0 104/11 में 0.127 हैक्टर खाला कुल रकबा 8.097 हैक्टर नहरी मय खाला भूमि में से गुरदेव सिंह को 3.454 हैक्टर, मनधीर सिंह को 3.454 हैक्टर तेजपाल सिंह को 1.189 हैक्टर भूमि प्राप्त हुयी। चक 35 एच के खाता संख्या 86/79 में मु0नं0 74 में 6.325 हैक्टर नहरी भूमि में से गुरदेव सिंह को 2.292 हैक्टर, मनधीर सिंह को 1.306 हैक्टर, तेजपाल सिंह को 2.730 हैक्टर भूमि प्राप्त हुयी। चक 35 एच के खाता संख्या 101/99 में मु0नं0 76 में किला नं0 7 व 8 में 0.506 हैक्टर, किला नं0 13 से लेकर 18 तक में 1.518 हैक्टर, किला नं0 23 से लेकर 25 तक में 0.759 हैक्टर कुल रकबा 2.783 हैक्टर नहरी कृषि भूमि में से गुरमुख सिंह को 1.012 हैक्टर, गगनदीप सिंह को 1.771 हैक्टर भूमि प्राप्त हुयी। चक 35 एच के खाता संख्या 44/42 में मु0नं0 76 में किला नं0 3, 4, 5, 6 में कुल 1.012 हैक्टर नहरी भूमि में से गुरमुख सिंह को 0.253 हैक्टर, गगनदीप सिंह को 0.759 हैक्टर भूमि प्राप्त हुयी। चक 35 एच के खाता संख्या 44/42 में मु0नं0 78 में कुल 3.162 हैक्टर नहरी कृषि भूमि में से गुरमुख सिंह को 1.834 हैक्टर व गगनदीप सिंह को 1.328 हैक्टर भूमि प्राप्त हुयी। चक 35 एच के खाता संख्या 86/79 में मु0नं0 48 में किला नं0 12/1 में 0.101 हैक्टर नहरी भूमि में से गुरमुख सिंह को 0.051 हैक्टर व गगनदीप सिंह को 0.050 हैक्टर भूमि प्राप्त हुयी। चक 39 एच के खाता संख्या 29/26 में मु0नं0 6 में 2.480 हैक्टर नहरी भूमि में से गुरमुख सिंह को 1.897 हैक्टर व गगनदीप सिंह को 0.583 हैक्टर भूमि प्राप्त हुयी। चक 35 एच के खाता संख्या 25/24 में मु0नं0 23 में 0.430 हैक्टर, मु0नं0 66 में 0.443 हैक्टर, मु0नं0 77 में 6.325 हैक्टर, मु0नं0 78 में 2.909 हैक्टर कुल 10.107 हैक्टर नहरी कृषि भूमि गुरमुख सिंह को 1.505 हैक्टर व गगनदीप सिंह को 6.325 हैक्टर व जितेन्द्रपाल कौर को 2.277 हैक्टर भूमि प्राप्त हुयी। चक 35 एच के खाता संख्या 44/42 में मु0नं0 66 के किला नं0 11, 12/2, 17, 18, 19, 20/1 व 23/1 में कुल रकबा 1.328 हैक्टर नहरी बाराणी भूमि गुरादिता सिंह, गुरदेव सिंह, गुरमुख सिंह को बहिस्सा बराबर बराबर भूमि प्राप्त हुयी। चक 39 एच के खाता संख्या 29/26 में मु0नं0 3 में किला नं0 1/1, 10/2, 11/2, 20/2, 21/2 में रकबा 0.125 हैक्टर, मु0नं0 28 में किला नं0 16 से 20 में 1.265 हैक्टर नहरी कुल रकबा 1.390 हैक्टर नहरी भूमि में से गुरादिता सिंह को 0.633 हैक्टर, गुरदेव सिंह को 0.379 हैक्टर व गुरमुख सिंह को 0.378 हैक्टर भूमि प्राप्त हुयी। चक 39 एच के खाता संख्या 29/26 में मु0नं0 5 में किला नं0 1/2 में 0.228 हैक्टर, किला नं0 2/2 में 0.114 हैक्टर पश्चिम दिशा, किला नं0 9 में 0.126 हैक्टर पश्चिम दिशा, किला नं0 10 व 11 में 0.506 हैक्टर, किला नं0 19 में 0.126 हैक्टर पश्चिम की दिशा में, किला नं0 20 व 21 में 0.506 हैक्टर, किला नं0 22 में 0.127 हैक्टर पश्चिम दिशा कुल रकबा 1.860 हैक्टर नहरी भूमि गुरदेव सिंह को प्राप्त हुयी। इस प्रकार से उक्त बंटवारा में प्राप्त भूमि पर पक्षकारान शांतिपूर्वक, निर्बाध, निरंतर कई वर्षों से काबिज चले आ रहे है। उक्त भूमि के संबंध में कब्जा को लेकर कोई वाद-विवाद नहीं है एवं न ही कोई प्रकरण किसी न्यायालय में लम्बित है। लिखित बंटवारानामा के अनुसार सभी पक्षकारान अपने अपने हिस्सा की भूमि पर काबिज अवश्य है, लेकिन राजस्व अभिलेख में बंटवारा व कब्जा अनुसार कृषि भूमि पक्षकारान के नाम से दर्ज नहीं होने के कारण पक्षकारान को कई समस्याओ का सामना करना

राजस्व अधिकारी (राजस्व)

भूमि कुल रकबा 3.289 हैक्टर नहरी भूमि में से रसवेग सिंह को 1.265 हैक्टर व गुरादिता सिंह को 2.024 हैक्टर भूमि प्राप्त हुयी। चक 35 एच के खाता संख्या 25/24 में मु0नं0 75 में 1.265 हैक्टर नहरी भूमि रसवेग सिंह को प्राप्त हुयी। चक 35 एच के खाता संख्या 39/38 में मु0नं0 75 में 3.795 हैक्टर नहरी भूमि रसवेग सिंह को प्राप्त हुयी। चक 35 एच के खाता संख्या 29/26 में मु0नं0 5 में 2/2 में 0.114 हैक्टर पूर्व दिशा में, किला नं0 3/2 में 0.228 हैक्टर, किला नं0 8 में 0.253 हैक्टर, किला नं0 9 में 0.127 हैक्टर पूर्व की दिशा, किला नं0 12 में 0.126 हैक्टर पूर्व की दिशा, किला नं0 13 में 0.253 हैक्टर, किला नं0 18 में 0.253 हैक्टर, किला नं0 19 में 0.127 हैक्टर पूर्व दिशा में, किला नं0 22 में 0.126 हैक्टर पूर्व दिशा में, किला नं0 23 में 0.253 हैक्टर कुल 1.860 हैक्टर नहरी भूमि रसवेग सिंह को प्राप्त हुयी। चक 35 एच के खाता संख्या 44/42 में मु0नं0 76 में किला नं0 1 व 2 में 0.506 हैक्टर नहरी भूमि गुरादिता सिंह को प्राप्त हुयी। चक 35 एच के खाता संख्या 39/38 में मु0नं0 54 में 6.199 हैक्टर नहरी भूमि व मु0नं0 55 में 1.771 हैक्टर नहरी भूमि व मु0नं0 104/11 में 0.127 हैक्टर खाला कुल रकबा 8.097 हैक्टर नहरी मय खाला भूमि में से गुरदेव सिंह को 3.454 हैक्टर, मनधीर सिंह को 3.454 हैक्टर तेजपाल सिंह को 1.189 हैक्टर भूमि प्राप्त हुयी। चक 35 एच के खाता संख्या 86/79 में मु0नं0 74 में 6.325 हैक्टर नहरी भूमि में से गुरदेव सिंह को 2.292 हैक्टर, मनधीर सिंह को 1.306 हैक्टर, तेजपाल सिंह को 2.730 हैक्टर भूमि प्राप्त हुयी। चक 35 एच के खाता संख्या 101/99 में मु0नं0 76 में किला नं0 7 व 8 में 0.506 हैक्टर, किला नं0 13 से लेकर 18 तक में 1.518 हैक्टर, किला नं0 23 से लेकर 25 तक में 0.759 हैक्टर कुल रकबा 2.783 हैक्टर नहरी कृषि भूमि में से गुरमुख सिंह को 1.012 हैक्टर, गगनदीप सिंह को 1.771 हैक्टर भूमि प्राप्त हुयी। चक 35 एच के खाता संख्या 44/42 में मु0नं0 76 में किला नं0 3, 4, 5, 6 में कुल 1.012 हैक्टर नहरी भूमि में से गुरमुख सिंह को 0.253 हैक्टर, गगनदीप सिंह को 0.759 हैक्टर भूमि प्राप्त हुयी। चक 35 एच के खाता संख्या 44/42 में मु0नं0 78 में कुल 3.162 हैक्टर नहरी कृषि भूमि में से गुरमुख सिंह को 1.834 हैक्टर व गगनदीप सिंह को 1.328 हैक्टर भूमि प्राप्त हुयी। चक 35 एच के खाता संख्या 86/79 में मु0नं0 48 में किला नं0 12/1 में 0.101 हैक्टर नहरी भूमि में से गुरमुख सिंह को 0.051 हैक्टर व गगनदीप सिंह को 0.050 हैक्टर भूमि प्राप्त हुयी। चक 39 एच के खाता संख्या 29/26 में मु0नं0 6 में 2.480 हैक्टर नहरी भूमि में से गुरमुख सिंह को 1.897 हैक्टर व गगनदीप सिंह को 0.583 हैक्टर भूमि प्राप्त हुयी। चक 35 एच के खाता संख्या 25/24 में मु0नं0 23 में 0.430 हैक्टर, मु0नं0 66 में 0.443 हैक्टर, मु0नं0 77 में 6.325 हैक्टर, मु0नं0 78 में 2.909 हैक्टर कुल 10.107 हैक्टर नहरी कृषि भूमि गुरमुख सिंह को 1.505 हैक्टर व गगनदीप सिंह को 6.325 हैक्टर व जितेन्द्रपाल कौर को 2.277 हैक्टर भूमि प्राप्त हुयी। चक 35 एच के खाता संख्या 44/42 में मु0नं0 66 के किला नं0 11, 12/2, 17, 18, 19, 20/1 व 23/1 में कुल रकबा 1.328 हैक्टर नहरी बारानी भूमि गुरादिता सिंह, गुरदेव सिंह, गुरमुख सिंह को बहिस्सा बराबर बराबर भूमि प्राप्त हुयी। चक 39 एच के खाता संख्या 29/26 में मु0नं0 3 में किला नं0 1/1, 10/2, 11/2, 20/2, 21/2 में रकबा 0.125 हैक्टर, मु0नं0 28 में किला नं0 16 से 20 में 1.265 हैक्टर नहरी कुल रकबा 1.390 हैक्टर नहरी भूमि में से गुरादिता सिंह को 0.633 हैक्टर, गुरदेव सिंह को 0.379 हैक्टर व गुरमुख सिंह को 0.378 हैक्टर भूमि प्राप्त हुयी। चक 39 एच के खाता संख्या 29/26 में मु0नं0 5 में किला नं0 1/2 में 0.228 हैक्टर, किला नं0 2/2 में 0.114 हैक्टर पश्चिम दिशा, किला नं0 9 में 0.126 हैक्टर पश्चिम दिशा, किला नं0 10 व 11 में 0.506 हैक्टर, किला नं0 19 में 0.126 हैक्टर पश्चिम की दिशा में, किला नं0 20 व 21 में 0.506 हैक्टर, किला नं0 22 में 0.127 हैक्टर पश्चिम दिशा कुल रकबा 1.860 हैक्टर नहरी भूमि गुरदेव सिंह को प्राप्त हुयी। इस प्रकार से उक्त बंटवारा में प्राप्त भूमि पर पक्षकारान शांतिपूर्वक, निर्बाध, निरंतर कई वर्षों से काबिज चले आ रहे है। उक्त भूमि के संबंध में कब्जा को लेकर कोई वाद-विवाद नहीं है एवं न ही कोई प्रकरण किसी न्यायालय में लम्बित है। लिखित बंटवारानामा के अनुसार सभी पक्षकारान अपने अपने हिस्सा की भूमि पर काबिज अवश्य है, लेकिन राजस्व अभिलेख में बंटवारा व कब्जा अनुसार कृषि भूमि पक्षकारान के नाम से दर्ज नहीं होने के कारण पक्षकारान को कई समस्याओ का सामना करना


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकाणपुर



पड रहा है। वादीगण ने आज दस रोज पूर्व प्रतिवादीगण को राजस्व अभिलेख में भूमि अपने अपने नाम दर्ज करवाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने ने कार्य की व्यस्तता व समयभाव के अगमर्थता व्यक्त की। इस कारण माननीय न्यायालय के समक्ष वाद पत्र प्रस्तुत करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प वादीगण के पास शेष नहीं रहा। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वादपत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त बंटवारानामा में वादीगण को प्राप्त भूमि अनुसार किलावाइज खातेदार घोषित किया जाकर, अलग से खाता व लगान कायम किये जाने के आदेश प्रदान करें।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्गण सम्पन्न तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। जवाब स्टेट पेश नहीं होने पर बन्द किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश है। इसलिए प्रकरण में वाद विन्दु कायम नहीं किए गये। वादीगण अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार श्रीकरणपुर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर वाद पत्र डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय अपथपत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादीगण राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार है। लिहाजा वादीगण अपनी आगर्जी का वाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार तकासमा चाहते है। अतः वादीगण के हिस्से की भूमि का वाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवारा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की गई कि राजस्व ग्राम 35 एच, पटवार हल्का बुर्जवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 79 के खाता संख्या 25/24 के मुर्ब्बा नम्बर 23, 66, 75, 77, 78 की कुल 11.372 हेक्टेयर भूमि, खाता संख्या 39/38 के मुर्ब्बा नम्बर 54, 55, 75, 104/11 की कुल 11.892 हेक्टेयर भूमि, खाता संख्या खाता संख्या 86/79 के मुर्ब्बा नम्बर 48, 74 की कुल 6.426 हेक्टेयर, खाता संख्या 100/98 के मुर्ब्बा नम्बर 53, 104/62 की कुल 6.275 हेक्टेयर, राजस्व ग्राम 39 एच, पटवार हल्का बुर्जवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 29/26 के मुर्ब्बा नम्बर 3, 5, 6, 28 की 7.590 हेक्टेयर भूमि में वादी संख्या 1 गुरादिता के हिस्सा में 1.746 हेक्टेयर, वादी संख्या 2 रसवेग सिंह के हिस्सा में 1.974 हेक्टेयर, वादी संख्या 3 गुरमुख सिंह के हिस्सा में 6.881 हेक्टेयर, वादी संख्या 4 मनप्रीत सिंह के हिस्सा में 3.466 हेक्टेयर, वादी संख्या 5 गगनदीप सिंह के हिस्सा में 9.254 हेक्टेयर, वादी संख्या 6 जितेन्द्रपाल कौर के हिस्सा में 4.147 हेक्टेयर भूमि आई हुई है। जिसका माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से माफिक भूमि का वादीगण गुरादिता सिंह, रसवेग सिंह, गुरमुख सिंह, मनप्रीत सिंह, गगनदीप सिंह, जितेन्द्रपाल कौर के मध्य बंटवारा मौके पर वाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे। **शेष खाता एवं रहन बदस्तूर रहें।** तहसीलदार श्रीकरणपुर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अधिकृत किया गया तहसीलदार श्रीकरणपुर ने प्राथमिक डिक्री की पालना में बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सामिल मिसल की गई। प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष कुमार ने प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी पेश किया। जो बाद सुनवाई स्वीकार किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। सामिल मिसल किया गया।

बहस अधिवक्तागण सुनी गई, बहस के दौरान उभयपक्ष अधिवक्तागण ने माफिक बंटवारा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादीगण का वादपत्र व प्रतिवादी संख्या 3 का काउन्टर क्लेम डिक्री किया जाकर बंटवारा किये जाने की ईशतदुआ की है। बहस अधिवक्तागण व तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद पत्र व प्रतिवादी संख्या 3 का काउन्टर क्लेम डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना हम उचित समझते है।



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)



अतः अंतिम डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि राजस्व ग्राम 35 एच, पटवार हल्का बुर्जवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 79 के खाता संख्या 25/24 के मुरब्बा नम्बर 23, 66, 75, 77, 78 की कुल 11.372 हेक्टैयर भूमि, खाता संख्या 39/38 के मुरब्बा नम्बर 54, 55, 75, 104/11 की कुल 11.892 हेक्टैयर भूमि, खाता संख्या 100/98 के मुरब्बा नम्बर 53, 104/62 नम्बर 48, 74 की कुल 6.426 हेक्टैयर, खाता संख्या 86/79 के मुरब्बा की कुल 6.275 हेक्टैयर, राजस्व ग्राम 39 एच, पटवार हल्का बुर्जवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 29/26 के मुरब्बा नम्बर 3, 5, 6, 28 की 7.590 हेक्टैयर भूमि का वंटवारा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-


नाम खातेदारान मय वल्लियत सकूनत	राजस्व ग्राम	भू.नं.	किला नं.	रकबा	किस्म	लगान
गुरादिता सिंह पुत्र माला सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 39 एच बुर्जवाला तहसील श्री करणपुर(2.480 है.), मनप्रीत सिंह पुत्र गुरादिता सिंह सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 39 एच बुर्जवाला तहसील श्री करणपुर (3.795 है.),	35 एच	53 104/62	1 ता 25	6.199 हेक्टैयर 0.076 हेक्टैयर	नहरी मै.मु.खा	47.78 0.00
गुरादिता सिंह पुत्र माला सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 39 एच बुर्जवाला तहसील श्री करणपुर(2.024 है.), रसवेग सिंह पुत्र गुरादिता सिंह सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 39 एच बुर्जवाला तहसील श्री करणपुर (1.265 है.)	35 एच	75 76	5,6,15,16,25 9 ता 12 19 ता 22	1.265 हेक्टैयर 1.012 हेक्टैयर 1.012 हेक्टैयर	नहरी नहरी नहरी	9.75 7.80 7.80
रसवेग सिंह पुत्र गुरादिता सिंह सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 39 एच बुर्जवाला तहसील श्री करणपुर (5.060 है.)	35 एच	75	1 ता 4 7 ता 14 17 ता 24	1.012 हेक्टैयर 2.024 हेक्टैयर 2.024 हेक्टैयर	नहरी नहरी नहरी	7.80 15.60 15.60
गुरादिता सिंह पुत्र माला सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 39 एच बुर्जवाला तहसील श्री करणपुर(0.506 है.),	35 एच	76	1, 2	0.506 हेक्टैयर	नहरी	3.90
रसवेग सिंह पुत्र गुरादिता सिंह सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 39 एच बुर्जवाला तहसील श्री करणपुर (1.860 है.)	39 एच	5	2/2 3/2 8 9 12 13, 18 19 22 23	0.114 हेक्टैयर 0.228 हेक्टैयर 0.253 हेक्टैयर 0.127 हेक्टैयर 0.126 हेक्टैयर 0.506 हेक्टैयर 0.127 हेक्टैयर 0.126 हेक्टैयर 0.253 हेक्टैयर	नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी	0.87 1.76 1.95 0.98 0.98 3.90 0.98 0.98 1.95
गुरमुख सिंह पुत्र माला सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 39 एच बुर्जवाला तहसील श्री करणपुर	35 एच	76	3 ता 6 7, 8 13 ता 18	1.012 हेक्टैयर 0.506 हेक्टैयर 1.518 हेक्टैयर	नहरी नहरी नहरी	7.80 0.98 11.70



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

एच बुर्जवाला तहसील श्री करणपुर (3.919 है.), मनधीर सिंह पुत्र गुरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 39 एच बुर्जवाला तहसील श्री करणपुर (4.759 है.), गुरदेव सिंह पुत्र माला सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 39 एच बुर्जवाला तहसील श्री करणपुर (5.744 है.),	55 104/11 74	10	0.228	हेक्टैयर	नहरी	1.76	
		11	0.228	हेक्टैयर	नहरी	1.76	
		12 ता 19	2.024	हेक्टैयर	नहरी	15.60	
		20	0.228	हेक्टैयर	नहरी	1.76	
		21	0.228	हेक्टैयर	नहरी	1.76	
		22 ता 25	1.012	हेक्टैयर	नहरी	7.80	
		19 ता 25	1.771	हेक्टैयर	नहरी	13.65	
		1 ता 25	6.325	हेक्टैयर	नहरी	48.75	
		1 ता 25	0.127	हेक्टैयर	गै.मु.खा	0.00	
		1 ता 25	6.325	हेक्टैयर	नहरी	48.75	
1 गुरदेव सिंह पुत्र माला सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 39 एच बुर्जवाला तहसील श्री करणपुर (1.860 है.),	39 एच	5	1/2	0.228	हेक्टैयर	नहरी	1.76
		2/2	0.114	हेक्टैयर	नहरी	0.88	
		9	0.126	हेक्टैयर	नहरी	0.97	
		10, 11	0.506	हेक्टैयर	नहरी	3.90	
		12	0.127	हेक्टैयर	नहरी	0.97	
		19	0.126	हेक्टैयर	नहरी	0.97	
		20, 21	0.506	हेक्टैयर	नहरी	3.90	
		22	0.127	हेक्टैयर	नहरी	0.97	

शेष खाता एवं रहन बदस्तूर रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के मुताबिक 260545/- रुपए की राजस्व हानि हो रही है। 260545/- रुपए की स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।



{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगामगौर
श्रीकरणपुर

निर्णय आज दिनांक 30.06.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर प्रशासन गांव के संग अभियान-2023 ग्राम पंचायत 12 एच मोहला में सुनाया गया।



{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगामगौर
श्रीकरणपुर

